(गिरधारी) बनाम विद्याधर आदि

किस्म मुकदमा दावा सं. 22 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तामील में जारी
23/03/18	वकील वादी उपस्थित। रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया। दावा दर्जरजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 20-04-18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)	201-19 / 23-03
20.4.18	पत्रावली पेश हुई। प्रति० सं० 1 ता 7 की ओर से श्री सुरेश चौधरी एड०, प्रति० सं० 8 ता 11 की ओर से श्री प्रमोद मोदी, अलिशा जैन, मुकेश भाटा एड० ने वकालतनामा पेश किया। वास्ते जवाब दावा पत्रावली दिनांक 22.06.18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)	2696-27 / 16-05-1
29.05.18	पत्रावली आज कैम्प कोर्ट नवीपुरा पर पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। वादी ने नोट प्रेस में खारिज करने बाबत नोट किया है। अतः वाद वादी नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद जाप्ता कार्यवाही सा०चिल दफ्तर हो। (रेनू मीणा) अध्यक्ष लोक अदालत फतेहपुर शेखावटी उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)	Sir Not Press गिरधारी